न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31 / 2025, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. सोमा बेवा हंसराज
2. सुनील पुत्र हंसराज
3. राहुल पुत्र हंसराज
4. देवेन्द्र पुत्र हंसराज नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका सोमा बेवा हंसराज
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम हासिलपुर बालाहेडी, तहसील महवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती मनीषा कुमारी मीणा उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा।
2. नत्थी देवी पत्नि कन्हैया
3. छोटी देवी पत्नि नाथूलाल
4. हरप्यारी पत्नि मानसिंह
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम वीरपुर तहसील महवा जिला दौसा।
5. धनपति पत्नि रेवडमल
6. कैलाश पत्नि किशन
7. कमला उर्फ कम्मो पत्नि गंगाबिशन
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम ग्वारकी तहसील महवा जिला दौसा।
8. काडी पत्नि राजेन्द्र
9. ईश्वर पुत्र छोटा
10. महेश पुत्र खैरया
11. सुरेश पुत्र खैरया
    समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील महवा जिला दौसा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण वाद पत्र संख्या 133 / 2016 मुकदमा उनवानी हंसराज बनाम नत्थी वगैरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

उपस्थितिः श्री रामावतार बैरवा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री ऋद्धिचन्द शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 11.06.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा उनवानी प्रकरण हंसराज बनाम नत्थी मुकदमा वाद संख्या 133 / 2016 विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 उक्त प्रकरण का फैसला अप्रार्थीगण के पक्ष में करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय में [illegible] वादीगण की कोई सुनवाई नहीं की जाती है। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में विचारधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाये जाने के लिये प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। उपखण्ड अधिकारी महवा से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋद्धिचन्द शर्मा उपस्थित आये। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी महवा उक्त प्रकरण का फैसला अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में करने पर आमादा है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण वादीगण की कोई सुनवाई नहीं की जाती है तथा प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के कहे अनुसार ही तारीखे दी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2025, 02.04.2025 व दिनांक 07.04.2025 को नजदीकी तारीख पेशीयां दी गई है तथा आगे भी नजदीकी तारीख पेशीयां दी जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा गांव में एलानिया कहा गया कि प्रकरण का फैसला तो हमारे पक्ष में ही होगा। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते कई बार देखा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दे रहे है। प्रार्थीगण को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा हो रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण को कानूनी प्रावधानों व न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर प्रार्थी के विरूद्ध तय करेगा। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। यदि उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी महवा से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किया गया तो प्रार्थीगण न्याय प्राप्ति से वंचित हो जायेंगे एवं प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी महवा में विचारधीन प्रकरण वाद पत्र संख्या 133/2016 मुकदमा उनवानी हंसराज बनाम नत्थी वगैरा को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि राजस्व मण्डल टी.ए./3708/2021 जिला दौसा दिनांक 30.11.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी महवा को वाद प्रेषित कर गुणावगुण कर विधि अनुसार निस्तारण हेतु भिजवाया गया। उक्त प्रकरण को तीन वर्ष व्यतीत हो चुके है, जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी के साक्ष्य विचाराधीन चल रहे है। उक्त वाद में सुनील कुमार, राहुल एवं अन्य के साक्ष्य लिये जा चुके है अप्रार्थीगण के साक्ष्य बकाया है। प्रकरण में न्याय कों लंबित करने की दृष्टि से पीठासीन अधिकारी पर नाजायज लांछन लगाकर स्थानान्तरण किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वाद संख्या 133/2016 वर्ष 2016 से चालू है। जिसकी अनुमानित नो वर्ष की अवधि हो चुकी है। प्रार्थी ने वर्ष 2021 में खसरा नम्बर 123/291 पर अस्थाई निषेधाज्ञा से स्थगन प्राप्त किया है। जिसकी आड में मेरे खेत व खसरा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा व अतिक्रमण कर लिया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में लगाये गये आरोप असत्य व बेबुनियाद है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी महवा से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी के अनुसार प्रकरण में गत तारीख पेशी 21.05.2025 नियत थी। न्यायालय में निर्णय हेतु पक्षकारान को सुनवाई के समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त विधिक प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। उक्त प्रकरण में तारीख पेशीयां रूटीन के अनुसार ही दी जाती है। प्रकरण ज्यादा समय से लंबित होने के कारण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नजदीकी तारीख पेशीयां दी जाती है। अप्रार्थीगण के अनुसार तारीख पेशीयां दिया जाना तथा अप्रार्थीगण से न्यायालय का कोई संबंध सरोकार होने का बिन्दु निराधार व झूंठा है। दोनो पक्षकारान को सुनवाई के समुचित अवसर दिये जा रहे है। उभयपक्षकारान को सुना जाकर ही न्यायालय में निर्णय दिया जाता है। न्यायालय में पक्षकारों के हको के मध्यनजर कानूनों की रोशनी में ही प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। फिर भी यदि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा को कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा उप जिला कलक्टर महवा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जा. दी. स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये है तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी जिरह हेतु अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा में नियत चल रही है। प्रकरण लम्बे समय से विचाराधीन होने के कारण से नजदीकी तारीख पेशीयां दी गई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में पीठासीन अधिकारी न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का उद्देश्य उप जिला कलक्टर महवा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जाना प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी महवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:29 IST
Reason: SelfAttested